न्याय के सिद्धान्त (Theories of Justice)

न्याय की अवधारणा शाश्वत और सर्वव्यापी है। मानव मूल्यों में इसका स्थान सर्वोच्च है। न्याय का संबंध जीवन के हर पहलू से है। विश्लेषण की दृष्टि से न्याय के 4 विभाजन किए जा सकते हैं - कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।

1- कानूनी न्याय - कानूनी न्याय का अर्थ है कानून के समक्ष सबको समान माना जाये तथा कानून का समान संरक्षण सबको बिना किसी भेद-भाव के प्राप्त हो। इसका अर्थ है जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, रंग, लिंग आदि किसी आधार पर कानून द्वारा भेद-भाव न किया जाना।

2- आर्थिक न्याय - आर्थिक न्याय का अर्थ है सबको आर्थिक अवसरों की समानता और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आर्थिक विकास, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता।

किसी वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण न हो, सब को न्यायोचित पारिश्रमिक मिले, और कोई परिश्रम से आजीविकोपार्जन करे।

3- सामाजिक न्याय - सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में भेद-भाव का न होना और समाज में सब व्यक्तियों एवं वर्गों को अपने विकास और उन्नति के समुचित अवसर प्राप्त होना और अपने रीति-रिवाज, परम्पराओं, धर्मों, विश्वासों के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता होना। सामाजिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से 18 और 23-30 में मिलता है।

4- राजनीतिक न्याय - राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य की राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया में किसी नागरिक के साथ भेद-भाव न हो और सबको उसमें भाग लेने की स्वतंत्रता व समान अवसर प्राप्त हो। शासन प्रणाली का प्रतिनिधि मूलक होना, सब वयस्कों को मताधिकार प्राप्त होना, नियमानुसार निष्पक्ष चुनाव होना, चुनावों में सब नागरिकों को प्रत्याशी बनाने का अधिकार होना, सार्वजनिक पदों पर नागरिकों को चुने जाने और नियुक्त होने का समान अवसर प्राप्त होना।

Scanned by TapScanner

-न्याय एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण- न्याय के सिद्धान्त-

1- यूनानी सिद्धान्त - प्लेटो से पूर्व के विचारक-

1- सिफलेस - सत्य वचन कहना और लिए हुए ऋणों को चुकाना न्याय है।

2- पोलोमार्कस - प्रत्येक व्यक्ति को जो उचित है उसे दिया जाना चाहिए। मित्रों के साथ मित्रता का व्यवहार और शत्रुओं के साथ शत्रुता का व्यवहार करना ही न्याय है।

3- थ्रेसीमेकस का उग्रवाद - शक्तिशाली का हित ही न्याय है।

4- ग्लॉकन अनुभववाद - दुर्बल का हित ही न्याय है।

5- प्लेटो - अपने गुणों के आधार पर कार्य करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है

6- अरस्तू वितरणात्मक न्याय या आनुपातिक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय का उल्लेख करता है।

2- रोमन सिद्धान्त -

1- सिसरो - राज्य के नागरिकों के लिए सदाचरण के नियमों के दो स्रोत होते हैं - प्राकृतिक न्याय तथा संविदा न्याय।

3- मध्य युग -

1- ऑगस्टीन - प्रत्येक समाज की अपनी व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के अनुरुप व्यवहार ही न्याय है।

2- एक्वीनास ने 4 प्रकार के कानून बताए हैं - शाश्वत, प्राकृतिक, दैवी और मानवीय

4- वर्तमान काल -

1- न्याय का उपयोगितावादी सिद्धान्त - अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही न्याय है।

2- मार्क्स - पूंजीवाद का समूल विनाश तथा साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना तथा शोषण का अंत ही न्याय है।

3- राल्स का समझौतावादी न्याय सिद्धान्त -

1- मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण में समानता होनी चाहिए।

2- सामाजिक और आर्थिक असमानताओं जैसे धन या सत्ता की असमानताओं को तभी उचित माना जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो।

S.L. Lathaur

Scanned by TapScanner

कानून (Law)

कानून राज्य में जीवन के नियम है। कोई समुदाय बिना नियमों के नहीं रह सकता। समान सदाचार के प्रचलन के प्रचलन के लिए कुछ नियमों पर चलना आवश्यक हो जाता है। जिन नियमों के अनुसार हमारे सामाजिक व्यवहार चलते हैं उन्हीं के आधार पर हमारे रीति-रिवाज, परम्पराएं आदि बनते हैं। किन्तु सामाजिक नियमों को तोड़ने का कोई निश्चित दण्ड विधान नहीं है। निश्चित दण्ड विधान तो राज्य की विधियां बनाती हैं। मैकाइवर के अनुसार- "राज्य की विधि ही स्वतंत्र और उन्नत समाज में दण्ड दे सकती है।" बुडरो विल्सन के अनुसार- "राज्य कानून के लिए निश्चित प्रदेश में संगठित समाज है।"

कानून के स्रोत- कानून के स्रोत निम्नांकित हैं-

1- रीति (Custom) — रीति कानून के प्राचीनतम स्रोतों में एक है। प्रारंभिक समाज में सारे वाद-विवाद प्रचलित सामाजिक रीतियों के अनुसार तय किए जाते थे। रीतियों को स्वभाव के कारण माना और पालन किया जाता है। उनकी स्वीकृति उपयोगिता में निहित है अथवा मनुष्य की व्यवस्था और न्याय के लिए सामान्य इच्छा में निहित है। जब इसे दोहराया जाता है तो यह स्वभाव या आदत बन जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और लोग उसका अनुसरण करना शुरु कर देते हैं।

2- धर्म (Religion) — आदि समुदाय में रीति कानून थी और कानून धर्म था। कानून और धर्म इतने घुले-मिले थे कि जीवन के सब नियमों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। भारत में इस समय हिन्दू कानून का सर्वाधिक प्रभावकारी आधार मनु की विधि है। मुसलमानी कानून का स्रोत शरीअत में है।

3- न्यायिक निर्णय (Judicial Decision) — एक न्याय-धीश कानून को लागू करते हुए उसकी परिभाषा करता है, और ऐसा करते हुए वह अवचेतन या चेतन रुप में उसका संशोधन करता है या विस्तार करता है। जस्टिस होम्स के अनुसार "न्यायधीश नियमों को बनाते हैं और उन्हें बनाने चाहिए।" इस तरह कानून के निर्माण में न्यायधीशों का प्रमुख हाथ रहता है।

Scanned by TapScanner

4- वैज्ञानिक भाष्य - बड़े-बड़े न्यायवेत्ताओं के वैज्ञानिक विवादों से भी कानून का संशोधन और विकास होता है। प्रत्येक राज्य में जज और वकील दोनों ही विधि वेत्ताओं की सम्मतियों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। भाष्यकार सिद्धान्तों, रीतियों, निर्णयों और कानून को संग्रह करके, तुलना करके और तर्क की दृष्टि से क्रमबद्ध करके सम्भावित प्रश्नों के लिए पथ-निर्देशन का कार्य करता है। वह त्रुटियों को दूर करने के लिए सिद्धान्तों की रचना करता है।

5- न्याय भावना - न्याय भावना शब्द का अर्थ है समानता, निष्पक्षता या न्यायता। एक न्यायधीश का कर्तव्य न्याय करना है। किन्तु कानून प्रत्येक मामले पर कदापि संगत नहीं बैठता। कई स्थानों पर तटस्थ हो सकता है और कई स्थानों पर यह द्वैयर्थक हो सकता है। जब वर्तमान कानून किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करता, तो न्याय भावना के सिद्धान्त लागू किए जाते हैं और मामलों का निर्णय सर्वमान्य दृष्टि या निष्पक्षता के अनुसार किया जाता है। इस लिए न्याय भावना वर्तमान कानून की सहायता के अभाव की दशा में सहायता प्रदान करने की प्रवृत्ति रखती है। इसका लक्ष्य समानता अथवा न्याय प्राप्त करना होता है।

6- कानून निर्माण (Legislation) - राजा लोग प्रचलित प्रथाओं को परिवर्तित करने के लिए उनके चुनाव के साथ साथ नये विषयों के संबंध में आदेश जारी करते थे। यह रीति कानून निर्माण की स्रोत थी जो प्रतिनिधि सरकार के उद्भव के साथ विधान सभाओं की मुख्य चिन्ता का विषय बन गई है। किन्तु अब भी राजा या राष्ट्रपति के अनुमोदन का अस्तित्व वैसे ही बना हुआ है जैसे वह अतीत में था। वर्तमान काल में कानून-निर्माण कानून का सर्वाधिक विस्तृत और प्रत्यक्ष स्रोत है। लोगों की इच्छा विधान सभाओं द्वारा व्यक्त होती है और वे प्रतिनिधि संस्थाएं हैं।

कानून के प्रकार -

सामान्य रूप से कानून के दो भेद किए जा सकते हैं- राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून राज्य के प्रदेश और उसमें रहने वाले नागरिकों पर लागू होते हैं। राज्य के क्षेत्र में भी दो प्रकार के कानून हैं। एक तो वह है, जो राज्य पर शासन करता है और दूसरा

Scanned by TapScanner

वह है जिसके द्वारा राज्य नागरिकों पर शासन करता है। पहले को वैधानिक कानून कहते हैं और दूसरा साधारण कानून कहलाता है।

1- संवैधानिक कानून - संवैधानिक कानून मूलतः साधारण कानून से भिन्न है। संवैधानिक कानून राज्य के संगठन की व्याख्या करता है, सरकार के विभिन्न विभागों के कृत्य निश्चित करता है तथा शासक और शासितों में संबंध स्थापित करता है। संवैधानिक कानून लिखित या अलिखित दोनों रूपों में हो सकता है। यह खासकर विधान निर्माण के लिए बुलाई गई विधान निर्मात्री सभा के विचारपूर्ण प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है या यह इतिहास की उत्पत्ति के रूप में रीति-रिवाजों और न्यायिक निर्णयों से बना हुआ हो सकता है।

2- साधारण कानून - राज्य कानूनों का जनक और उसकी संतति दोनों है। संवैधानिक और साधारण कानूनों का स्वरूप तथा अनुमोदन भिन्न-2 होता है। साधारण नियम राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों और उनके पारस्परिक संबंधों को निश्चित करता है। न्यायालय के साधारण नियम का अनुसरण करते हैं। सरकार साधारण कानून के अनुसार ही अपनी आज्ञाएं पालन करती हैं। साधारण कानून के दो भाग हैं- सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून।

क- सार्वजनिक कानून - सार्वजनिक कानून व्यक्ति और राज्य के संबंधों को नियमित करता है। यह राज्य के संगठन और उसके कृत्यों तथा नागरिकों के साथ राज्य के संबंधों का वर्णन करता है। मैकाइवर के अनुसार- सार्वजनिक कानून समाज की व्यवस्था करता है, राज्य की रक्षा करना उसका मुख्य ध्येय नहीं है। सार्वजनिक कानून राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक विधि की अवज्ञा करता है तो राज्य उसको दण्ड देता

ख- व्यक्तिगत कानून - व्यक्तिगत कानून व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है। यह समाज में दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति के आचार का निर्धारण करता है अ

Scanned by TapScanner

प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रयोग की गारण्टी देता है। प्राइवेट विधि में दोनो पक्ष प्राइवेट होते हैं और राज्य निर्णायक होता है और उनकी रक्षा करना, राज्य के आधारभूत मुख्य कर्तव्यों में से एक है।

नागरिक कानून - नागरिक कानून का अर्थ राज्य या कानून है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत कानूनों को मिलाकर नागरिक कानून कहते हैं। यद्यपि यह राष्ट्रीय कानूनों की ओर निर्देश करता है।

Scanned by TapScanner